न्यूज डायरी

भाजपा छोड़ नवासी कांग्रेस में हुए शामिल

सहारनपुर। भाजपा में रहे नेता नवासी राम पुत्र फागू राम ग्राम सुवांखेड़ी,सरसावा आज अपने साथियों सहित भाजपा को अलविदा कहते हुए कांग्रेस में शामिल हो गये। बता दें कि नवासी राम अनुसूचित जाति से हैं। कांग्रेस ज्वाईन करने पर उनका स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी द्वारा सरसावा ब्लॉक से अनुसूचित जाति विभाग ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। सभी कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में संजीव कौशल पीसीसी व अरविंद पॉलीवाल जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग,डॉ.देवेंद्र कौशिक जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष,नगर उपाध्यक्ष राजेश कश्यप,अशोक मिश्रा,सुखविंदर शर्मा नगर अध्यक्ष,प्रेम राठौर ब्लॉक उपाध्यक्ष,अशोक धीमान,रॉयल शेख अर्श युवा कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष,सूर्यकांत कौशिक,अश्वनी कपिल,रोशन लाल शर्मा,शमीम अहमद,डॉ मोहन धीमान,नसीर अहमद,कंवर पाल सुवांखेड़ी,नरेंद्र सुवांखेड़ी,राजकुमार सुवांखेड़ी, विकास सुवांखेड़ी व सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

छात्रा के साथ मनचले ने की छेड़छाड़

नानौता। स्कूल के समय में मनचले सडकों पर खुलेआम छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कस्बे से एंटी रोमियो स्क्वायड पूरी तरह गायब है, जिसके चलते मनचलों की हरकतें आए दिन बढती चली आ रही हैं।

राजीव गांधी कालोनी निवासी एक महिला ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी बेटी नगर के एक विद्यालय में कक्षा 11 की छात्रा है। शनिवार की सुबह वह साईकिल पर कालेज जा रही थी। कस्बे के संजय चौक के नजदीक पहुंचने पर एक बाईक सवार युवक ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने पर आरोपी बाईक सवार ने उसकी साईकिल में टक्कर मार दी। बताया गया है कि उक्त आरोपी द्वारा इससे पहले भी युवती के साथ कई बार युवती के इर्द गिर्द घूमकर उसे परेशान कर चुका है। पीडिता ने परेशान होकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। ऐसे में साफ है कि संजय चौक पर तैनात पुलिसकर्मी किस प्रकार अपनी डयूटी कर रहे हैं।

घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया

नानौता। क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपनी पुत्रवधू के परिजनों पर उसके घर में घुसकर उसके व उसकी पुत्रवधू के साथ मारपीट करने का अरारोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र के गांव भाबसी निवासी राधा पत्नी राजकुमार ने थाने में तहरीर देकर बताया कि शनिवार की रात करीब साढे 10 बजे वह और उसके बेटे अनूप की पत्नी होमिका घर पर थे। तभी वहां पहुंचे होमिका के परिवार के लोगों ने उनके घर पहुचकर उनके साथ गाली गलौच की और विरोध करने पर मारपीट की। बताया जा रहा है कि 6 माह पहले अनूप और होमिका ने कोर्ट में शादी कर ली थी और न्यायालय में दोनों के बयान भी हो गए थे। युवती के परिजन तभी से उनके विरोध में रहते है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इंजीनियर हत्या की हो सीबीआई जांच

चन्दौसी। जनपद बुलन्दशहर के उमेश पुरी नरौरा निवासी बाल्मीकि समाज के युवा इंजीनियर अजय कुमार की हत्या कर लाश को सीवर के किनारे पर डाल दिया गया था। घटना बीते 10 दिसम्बर को रात्रि 9 बजे के लगभग बताई गई है। इस घटना को लेकर वाल्मीकि समाज ने एक बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष महा दलित परिसंघ के निवास पर कर घटना की कड़ी निन्दा की। बाल्मीकि समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से कैंडल मार्च निकालकर फुब्बारा चौक पर दो मिनट का मौन धारण कर मृतक आत्मा को श्रद्धाजंलि अर्पित की। इस दौरान गीता, बब्लू, अख्तर, कमल, रोजीलाल, मुन्ना, दीपू शर्मा, हरवीर यादव, सतीश प्रेमी, अब्दलु रऊफ कुरैशी, संजय सिंह, रिंकू चौहान, पंकज बाल्मीकि आदि रहे।

आधार कार्ड मशीनें फांक रहीं धूल

डॉ. मुस्तकीम राव

मशीनों को चलाने के लिए विभाग द्वारा जहां जगह की अनदेखी की गयी वहीं मशीनों को चलाने हेतु ऑपरेटरों का नहीं किया कोई प्रबन्ध

सहारनपुर। भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक विभाग के माध्यम से भारतीय नागरिकों को असुविधा से बचाने हेतु आधार कार्ड बनाने एवं सम्पादन करने का जिम्मा सौंपा था। जिस पर भारतीय डाक विभाग द्वारा हजारो करोड़ रूपये खर्च कर कम्प्यूटर इत्यादि सैटअप जनपद के मुख्य डाकघर सहित सभी उप डाकघरों में रखवा दिये थे।

लेकिन अफसोस जनपद सहारनपुर के 45 डाकघरों में से इक्का-दुक्का डाकघर को छोड़ किसी भी डाकखाने में नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है और नागरिक अपना नया आधार कार्ड बनवाने एवं पुराने आधार कार्डो में संशोधन कराने हेतु डाकघरों के चक्कर लगाते रहते हैं परन्तु उप डाकघरों पर तैनात एसबीएम जानकारी न होने की बात कहते हुए हाथ खड़े कर लेते हैं। उनका साफ-साफ कहना है कि विभाग द्वारा कम्प्यूटर व स्कैनर तो जरूर रखवा दिये हैं परन्तु विभाग द्वारा न तो शाखाओं में स्थान का ध्यान रखा गया और न ही ब्रांच पर कम्प्यूटर ऑपरेटर का प्रबन्ध किया गया। जिस कारण मुख्य डाकघर सहित उप डाकघरों पर आधार कार्ड बनाने की यह मशीने केवल धूल चाट रही हैं,

साथ ही भारतीय डाक विभाग द्वारा इन मशीनों के रखने में भारी घोटाले किये जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता और इन मशीनों के रखवाने में बहुत बड़े घोटाले की बू आती है। यदि इस पूरे प्रकरण की जाँच हो जाये तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आयेंगे। विभागीय सूत्रों की माने तो इस योजना पर भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रदेश में 12 हजार करोड़ रूपये खर्च किये हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म, दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

अमर भारती ब्यूरो

नानौता। नगर निवासी एक नाबालिग के साथ उसके पड़ोसी युवक ने अपनी भाभी की मदद से दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया है।

कस्बे के मौहल्ला शेखजादगान निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि शनिवार की शाम उसकी 16 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान उसके पडोस में रहने वाली महिला सन्जो पत्नी शालू बहला फुसलाकर उसकी बेटी को अपने साथ ले गई और अपने मकान में पहुंचकर एक कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। जहां पहले से ही सन्जो का देवर संदीप पुत्र बलजीत मौजूद था। आरोप है कि आरोपी युवक संदीप ने युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया, जिन्हें संदिग्ध हालात में पडोस की एक महिला ने देख लिया। पीडिता की शिकायत पर पुलिस ने सन्जो पत्नी शालू एवं उसके देवर संदीप के खिलाफ धारा 363, 376, 314 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

आयुष्मान योजना के कार्ड के नाम पर पैसे वसूले जाने पर मारा छापा

अमर भारती ब्यूरो

रुड़की। आयुष्मान योजना के कार्ड बनाये जाने के नाम पर पैसे वसूले जाने की शिकायत पर एएसडीएम ने कलियर में छापेमारी की। इस दौरान एएसडीएम ने एक मेडिकल स्टोर पर भी छापा मारा।

प्रदेश में 25 दिसंबर से आयुष्मान योजना की शुरुआत की गई थी। एएसडीएम रुड़की रवींद्र बिष्ट को एक व्यक्ति के घर पर कैम्प लगाकर अटल आयुष्मान योजना के कार्ड बनाए जाने के नाम पर पचास-पचास रुपये की वसूली करने की शिकायत मिली। इस पर एएसडीएम ने वहां छापा मारा। बताया कि सीएससी सेंटर पर कार्ड बनाने वाले युवक को तीस रुपये शुल्क लेने को कहा गया है। कोई कार्ड का लेमिनेशन करवाता है तो उससे 10 रुपये लिए जाएंगे। कुल मिलाकर 40 रुपये शुल्क के रूप में लिया जा सकता है।

इससे ज्यादा शुल्क लेने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।एएसडीएम ने बताया कि कलियर में सीएससी सेंटर संचालक द्वारा वार्ड एक में एक व्यक्ति के घर पर आयुष्मान योजना के कार्ड बनाये जा रहे थे। शिकायत मिली कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 50 रुपये वसूले जा रहे।

भाजपा सरकार पर गरजे बसपा नेता शादान मसूद

अमर भारती ब्यूरो

सहारनपुर। बेहट रोड स्थित मोहम्मद अलाउद्दीन पिकी के आवास पर बसपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए बसपा के वरिष्ठ नेता क़ाज़ी शादान मसूद ने कहा कि भाजपा जिस चीज का डर दिखा रही है। उन सभी मसलों का हल क़ुरआन और हदीस मे 1400 सालों से अब तक मौजूद है। कुरआन में सब मामलों का हल मौजूद है और उन पर पिछले चौदह सौ सालों से अमल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की फ़िरक़ापरस्त हुकुमत तीन तलाक़ के मामले में जो बेवजह दख़ल दे रही है। शरीयत में मदाखलत कोई मुस्लमान बर्दाशत नही करेगा। उक्त विचार बसपा के वरिष्ठ नेता क़ाज़ी शादान मसूद ने बेहट रोड स्थित मोहम्मद आलाउलुद्दीन पिकी के आवास पर कायकर्ताओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेवजह दखल दे रही है। मरकज़ी सरकार का फैसला इस्लामिक कानून के खिलाफ है। मज़हबी मामलों में हुकूमत को दख़ल देने का कोई हक नही है। तीन तलाक़ को गैरकानूनी बनाने व ऐसा करने पर तीन साल की सज़ा का प्रावधान वाला महिला विधेयक शरीयत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि फिरकापरस्त हुकूमत ने पिछले पांच सालों में नफरत के बीज बोने का काम किया है। सभा मे मौ. अलाउद्दीन पिकी, हाजी ज़ीशान गाड़ा ज़िला उपाधयक्ष गाड़ा युवा मंच, मियां बबलू ज़ैदी, शाहबान मलिक, मौलाना उस्मान, गुफ़रान चौधरी, इज़हार गाड़ा,रियाज़ माहेश्वरी कुरबान मलिक, गुलज़ार अहमद दिलशेर राणा, गुलशन आब्दी, मूसा अंसारी, उस्मान चौधरी, शादान तैमुरी मीडिया प्रभारी, अमजद प्रधान इनाम धानवी, शाईस्ता, आयशा, मेहजबीन, नरगिस, गुलशन जहां आदि भारी संख्या में महिला एवं पुरूष बसपा समर्थक मौजूद रहे।

सरकारी भूमि पर जमाया कब्जा

चन्दौसी। वार्ड 9 के सभासद विमल चौधरी उर्फ पप्पू ने पालिकाध्यक्ष इन्दु रानी पर भूमाफियाओं से सांठगांठ का आरोप लगाया है। सभासद द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वार्ड नं. 10 लाइन्स स्कूल के सामने खाली पड़ी सरकारी भूमि पर उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इसके बावजूद भी भूमाफियाओं ने रातोंरात उक्त भूमि पर दीवारें चुन दी हैं। सभासद का कहना है जब भूमाफियाओं से पूछताछ की गई तो जबाव मिला कि उनकी पालिकाध्यक्ष से बातचीत हो चुकी है और मुकदमा उनके पक्ष में हो गया है। सभासद ने शासन-प्रशासन को घटना से अवगत कराकर उचित कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए कहा है कि यदि इन भूमाफियाओं पर शीघ्र ही शिकंजा नहीं कसा गया तो यह शहर की सरकारी सम्पत्तियों पर कब्जा कर लेगें।

सभासद ने दी जांच अधिकारी को धमकी

अमर भारती ब्यूरो

नानौता। शनिवार को पीएम आवास योजना के तहत पात्रों की जांच के लिए पहुंचे ईओ को धमकाना नगर पंचायत सभासद को भारी पड गया। अधिशासी अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने सभासद के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कस्बे से हजारों की संख्या में फार्म भरे गए थे। जिनकी जांच के लिए ईओ नगर पंचायत जितेंद्र राणा को नोडल अधिकारी बनाया गया। शनिवार की दोपहर राणा सुरेंद्र रूहेला व राजेश शर्मा को अपने साथ लेकर वार्ड नंबर 6 मौहल्ला चाहमंजली कोट दादा मीराजी मार्ग पर पहुंचे। जहां पहुंचकर उन्होंने पात्रों और अपात्रों की गहनता से जांच की। इस दौरान कुछ लोग इस जांच में पूरी तरह अपात्र पाए गए। जिन्हें जांच अधिकारी ने मौके पर ही लाभ दिलवाने से साफ इंकार कर दिया। कई लोग इस जांच में ऐसे पाए गए, जिनके पास पहले से ही अपने रहने के लिए आवास थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा फार्म भरकर अप्लाई किया हुआ था। जिनको जांच के दौरान टीम द्वारा लाभ दिलवाने से साफ इंकार कर दिया गया। मामला चर्चाओं में आता चला गया और वार्ड सभासद गुलफाम राव तक जा पहुंचा।

नोडल अधिकारी जितेंद्र राणा का आरोप है कि जांच के दौरान उन्हें गुलफाम राव द्वारा उन्हें दोबारा उनके वार्ड में घुसने पर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि उक्त सभासद द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जिसके चलते उन्होंने पुलिस को सभासद के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। मामला बढता हुआ देखकर नगर पंचायत में शनिवार की देर शाम तक चेयरमैन गुट के लोग एवं सभी सभासद ईओ को मनाने में जुट गए, लेकिन ईओ का कहना था कि उनके साथ पूर्व में भी उक्त सभासद द्वारा कई बार ऐसा किया जा चुका है, जिसे वें अनदेखा करते चले आ रहे हैं। उन्होनें रविवार दोपहर थाने पहुंचकर आरोपी सभासद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि अभी तक उक्त सभासद अपने घर से फरार चल रहा है, आरोपी की तलाश की जा रही है।

कार्यालय रिकार्ड रूम, नगर निगम सहारनपुर

पत्रांकः-229/रि.रू./न.नि./स.पुर/2018-19 दिनांकः-28.12.2018

अल्पकालीन निविदा सूचना द्वारा ई-टैण्डर

नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा रिकार्ड रूम में रैन बसेरे के रख-रखाव के कार्य हेतु 01 निविदा ठेकेदारों/फर्मो से निर्धारित शर्तो के आधार पर निविदा दिनांक 31-12-18 को पूर्वान्ह 12:00 बजे तक वेबसाइट etender.up.nic.in पर ठेकेदारों/फर्मो से शर्तो के आधार पर निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। सभी निविदाएं अभिलेख एवं शर्ते वेबसाईट etender.up.nic.in पर दिनांक 31-12-18 से दिनांक 07-01-19 को पूर्वान्ह 03:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है तथा ठेकेदारों/फर्मो को दिनांक 07-01-19 को पूर्वान्ह 03:00 बजे तक वेबसाईट etender.up.nic.in पर ऑनलाईन अपनी निविदा दर/दरें डाल सकते हैं। ठेकेदारों/फर्मो को निविदा के साथ धरोहर धनराशि की एफ.डी.आर. रिकार्ड प्रभारी, नगर निगम, सहारनपुर के पक्ष में बन्धक कराकर एवं ट्रैण्डर मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के पक्ष में शर्तो में वर्णित समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित स्वयं प्रमाणित कर दिनांक 07-01-19 सायंकाल 05:00 बजे तक सील बंद लिफाफे को उद्यान प्रभारी कार्यालय कक्ष में रखे टैण्डर बॉक्स में डाले जायेंगे, जो निविदादाताओं की उपस्थिति में निविदा समिति के समक्ष दिनांक 08-01-19 को पूर्वान्ह 11:00 बजे खोले जायेंगे। विस्तृत शर्ते विवरण एवं निविदा प्रपत्र वेबसाईट टैण्डर http://etender.up.nic.in, www.saharanpurnagarnigam.in पर उपलब्ध है।

कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र. सं.	फाइल संख्या	कार्य का नाम	धरोहर राशि	टैण्डर का मूल्य जी.एस.टी. सहित (रूपये)	अवधि
1.	R.K.10/18-19	जनमंच प्रेक्षागृह के पास रैन बसेरे का 03 वर्ष रख-रखाव किये जाने हेतु	50000.00	826.00	03 वर्ष

रिकार्ड प्रभारी
नगर निगम, सहारनपुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद देवबंद जनपद सहारनपुर

पत्रांकः- 1280 दिनांक- 29-12-2018

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद में कर निर्धारण सूची, सम्पत्ति कर में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों पंजीकरण बैनामा/वसीयत/न्यायालय के आधार पर उनके सामने अंकित सम्पत्ति संख्या पर अपना बतौर स्वामी दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिये हैं। उक्त के नामान्तरण की कार्यवाही हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 147 (2) के अंतर्गत सूचना जारी की जाती है यदि किसी व्यक्ति को सम्पत्ति नामांतरण की कार्यवाही पर कोई आपत्ति हो तो, वह अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्यों सहित इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर कार्यालय में किसी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.सं.	नाम विक्रेता	नाम क्रेता	नामान्तरण का आधार	सम्पत्ति सं.
1	श्री महेन्द्र पुत्र रमेशचन्द	श्रीमती शीला देवी पत्नी पप्पू 1/2 भाग	पंजीकृत बैनामा	150 दुध्धा
2	श्री शाहिद हसन, श्री नादिर हसन, श्रीमती नाजिया हुसाना, श्रीमती सामिया पुत्र/पुत्रीगण मताहिर हसन	श्रीमती लईका बेगम पत्नी मताहिर हसन	न्यायालय द्वारा	274, 274/1,274/2274/3 टाकान
3	श्री मौहम्मद रिजवान पुत्र श्री लतीफ अहमद	श्रीमती नुसरत पत्नी श्री मौहम्मद नईम 4/10 भाग व श्रीमती अजीजा खातून पत्नी श्री फईम अहमद 6/10 भाग	पंजीकृत बैनामा	152 अबुलबरकात
4	श्री यासीन पुत्र याकूब	श्री इन्तजार पुत्र श्री यासीन	पंजीकृत वसीयतनामा बिला मालयती	310 दुध्धा
5	श्री सुलेखपाल पुत्र हरि सिंह	श्री राजपाल पुत्र काशीराम	न्यायालय द्वारा	950 कायस्थवाडा
6	श्रीमती रईसा बेम पत्नी अब्दुल लतीफ	श्रीमती सदिया खान पत्नी श्री अब्दुल मलिक	पंजीकृत बैनामा	500 किला
7	श्री शकूर पुत्र गफूर	श्री रईस पुत्र गफूर	पंजीकृत बैनामा	413 बैरून कोटला
8	श्रीमती मु. अमतुलबारी बेगम पत्नी मौलवी मौ. इसहाक	श्री शाकिर अख्तर, श्री साबिर अख्तर पुत्रगण गालिब अख्तर व श्रीमती हूरबानो पत्नी गालिब अख्तर	पंजीकृत वसीयतनामा बिला मालयती	14 अबुलबरकात
9	श्रीमती मोनिका जैन पत्नी श्री अनुज जैन, आशुतोष अग्रवाल पुत्र योगेन्द्र प्रकाश	श्रीमती जुवैदा पत्नी श्री महमूद	पंजीकृत बैनामा	421 भुल्लनशाह
10	श्री यगेन्द्र प्रकाश उर्फ योगेन्द्र प्रकाश पुत्र स्व. श्री आनन्द प्रकाश	श्री आशुतोष अग्रवाल पुत्र स्व. श्री योगेन्द्र अग्रवाल	पंजीकृत वसीयतनामा बिला मालयती	571, 571/1 सरायपीरजादगान
11	श्री तिलकराम पुत्र स्व. श्री रतिराम	श्रीमती रीता पत्नी श्री अजय व श्री अजय पुत्र तिलकराम प्रत्येक 1/2 भाग	पंजीकृत बैनामा	770 सरायमालियान
12	श्री नितिन गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता, डिम्पल कुमार पुत्र कृष्ण	श्रीमती रेखा पत्नी नरेश कुमार	पंजीकृत बैनामा	377 नेचलगढ़
13	श्री विनोद कुमार, सुधीर कुमार पुत्रगण स्व. नन्द किशोर, श्रीमती राजलक्ष्मी पत्नी विजय कुमार व महेश कुमार पुत्र स्व. विनय कुमार	श्री मौ. जफर खां पुत्र अख्तर, श्री नसीम पुत्र हबीब अहमद, श्री मौ. आसिफ पुत्र हबीब अहमद, श्री जीशान अहमद पुत्र शमीम अहमद	पंजीकृत बैनामा	136 नेचलगढ़
14	श्री जमीर खान पुत्र मौ. नूरहसन खां	श्री अशोक पारिख पुत्र स्व. श्री जयपाल	पंजीकृत बैनामा	553 सड़क रेल
15	श्री अनिल कुमार पुत्र लाला बद्रीप्रसाद व श्रीमती मीना रानी पत्नी श्री अनिल कुमार	श्रीमती शबनम पत्नी प्रवेज आलम व श्रीमती शाहिन पत्नी आकिल	पंजीकृत बैनामा	405 फौलादपुरा
16	श्रीमती सायरा बानो पत्नी मौ. मुस्तकीम	श्री मौ. शहजाद पुत्र मौ. असलम	पंजीकृत बैनामा	237 नेचलगढ़
17	श्री जावेद, अरशद, आशु, अजरा, नसीमा, जीनत अंजुम	श्रीमती दिलशाना पत्नी मुस्तफा अली	पंजीकृत बैनामा	411/1 भुल्लनशाह
18	श्री संजदीप जैन पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जैन, श्री नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र धर्मदास जैन, श्री सुभाष चन्द, रमेश चन्द व राकेश जैन, पुत्रगण श्री नरेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती प्रमीला जैन पत्नी अमृत लाल जैन, श्रीमती अलका जैन पत्नी श्री प्रदीप कुमार जैन	श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल व करूणलता पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार	पंजीकृत बैनामा	338 नेचलगढ़
19	श्रीमती सालेहा पत्नी सलीम अहमद	श्रीमती शमशीदा पत्नी श्री इकबाल	पंजीकृत बैनामा	375 बैरून कोटला
20	श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी मेघराज सिंह	श्री दीपक राज व पंकज ठाकुर पुत्रगण मेघराज सिंह	मृत्यु प्रमाण-पत्र	1689 शिक्षक नगर
21	श्री कलीराम पुत्र जयचन्द	श्री सुशील कुमार पुत्र स्व. कलीराम सैनी	मृत्यु प्रमाण-पत्र	810 पठानपुरा (ख)
22	श्रीमती अतिया इफ्फत सिद्दकी पत्नी फैजानुलहक व साद फैजान सिद्दकी व अहमद सिद्दकी पुत्रगण फैजानुलहक	श्री अहतशाउलहक पुत्र अहसाउलहक	पंजीकृत बैनामा	436 अबुलमाली
23	श्री राकेश कुमार सिंघल पुत्र ब्रज भूषणलाल	श्रीमती बबीता वर्मा पत्नी सुनील वर्मा	पंजीकृत बैनामा	865 छिम्पीवाडा
24	वेद प्रकाश पुत्र राम प्रसाद	श्रीमती अनीता पत्नी स्व. वेद प्रकाश	मृत्यु प्रमाण-पत्र	391 बडजियाउलहक
25	श्रीमती राकेश देवी पत्नी स्व. वेदप्रकाश व गौरव कुमार पुत्र स्व. श्री वेद प्रकाश	श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री प्रदीप त्यागी	पंजीकृत बैनामा	1415/1 शिक्षक नगर
26	श्रीमती राकेश देवी पत्नी स्व. वेदप्रकाश व गौरव कुमार पुत्र स्व. श्री वेद प्रकाश	श्री अमित कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह	पंजीकृत बैनामा	1451/1 शिक्षक नगर
27	श्री इनाम आदि	श्री जावेद पुत्र अख्तर	पंजीकृत बैनामा	515/5 सरायपीरजादगान

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, देवबन्द